



क्र. 905 परीक्षा / रा.मा.तो.वि.वि / 2026

ग्वालियर, दिनांक 08/10/2026

// सूचना पत्र //

महोदय / महोदया,

सूचित किया जाता है कि पूर्व में आपको मौखिक रूप से एन.ई.पी. पाठ्यक्रमों से संबंधित ऑनलाइन बैठक में यह सुनिश्चित किया गया था कि समस्त संबंधित महाविद्यालयों को केवल तीन वर्ष का बी.ए. (एन.ई.पी.) पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति है।

अतः समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा केवल तीन वर्ष का बी.ए. (एन.ई.पी.) पाठ्यक्रम एवं दो वर्ष का सामान्य एम.ए. का ही पाठ्यक्रम संचालित करना है। यदि किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा चार वर्ष का बी.ए. (एन.ई.पी.) पाठ्यक्रम एवं एक वर्ष का एम.ए. (एन.ई.पी.) पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में अपना स्थानांतरण कराना होगा। यदि कोई महाविद्यालय चार वर्ष का बी.ए. (एन.ई.पी.) पाठ्यक्रम एवं एक वर्ष का एम.ए. (एन.ई.पी.) संचालित करना चाहता है, तो रिसर्च मैथडोलॉजी एवं रिसर्च डिजिटेशन आदि लगभग 17 (सतरह) विषयों के शिक्षकों की सूची एवं मूलभूत सुविधाओं आदि की जानकारी विश्वविद्यालय को देकर पुनः अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा, तभी बी.ए. (एन.ई.पी.) चार वर्ष का पाठ्यक्रम एवं एक वर्ष का एम.ए. (एन.ई.पी.) पाठ्यक्रम संचालित कर पाएंगे अर्थात् प्रवेश लेते समय ही विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया जाए की हमारे महाविद्यालय में केवल तीन वर्ष का ही बी.ए. (एन.ई.पी.) पाठ्यक्रम संचालित है।

धन्यवाद,

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
संबंधित महाविद्यालय,
राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

भवदीय,

परीक्षा नियंत्रक

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला
विश्वविद्यालय, ग्वालियर